संख्या: 128/2024/381/35-4-2024/35-4099/156/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 18 मार्च, 2024

विषय: जनपद अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद अयोध्या में शासनादेश सं0- 224/2021/1929/35-4-2021 दिनांक 15-11-2021 द्वारा कुल 60 कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत 02 कार्य (उक्त शासनादेश दिनांक 15-11-2021 के क्रमांक- 45 व 51 पर अंकित) हेतु रू0 266.23 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 31.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी । जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्रांक- 671/त्व0आ0वि0यो0/2021-22 दिनांक 01.01.2024 के माध्यम से उक्त शासनादेश दिनांक 15-11-2021 द्वारा प्रश्नगत 02 कार्यों हेतु निर्गत धनराशि रु० 31.00 लाख के सापेक्ष व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि रू० 235.23 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 1,25,00,000/- (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र०	कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि	अद्यतन अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	इण्डियन गैस एजेन्सी (गद्दोपुर) से पलिया शाहबदी सम्पर्क मार्ग पर हाटमिक्स सड़क निर्माण	110.37	15.00	50.00
2	नन्दापुर गांव में श्री विजय यादव की दुकान से श्री आर0एन0 पाण्डेय के मकान तक हाटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण	155.86	16.00	75.00
	योग	**266.23**	**31.00**	**125.00**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त तालिका में अंकित दोनों कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 31.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, अयोध्या के उक्त पत्र दिनांक 01-01-2024 में व्यय की गई धनराशि रु0 25.12 लाख अंकित है, जबकि जिलाधिकारी, अयोध्या के उक्त पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई निरीक्षण आख्या में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त पूर्ण धनराशि का उपभोग इंगित किया गया है | जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त के आलोक में स्थिति स्पष्ट करते हुए धनराशि आहरित की जाए |
2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15-11-2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
3. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 1,25,00,000/- (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 03-त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0304- शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 128/2024/381(1)/35-4-2024/35-4099/156/2021, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या ।
14- अधिशासी अभियंता, नगर निगम, अयोध्या ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**